

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, हमीरपुर।

14.03.2026

पत्रावली आदेश हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश की गयी। अभियुक्त की ओर से जुर्म इकबाल प्रार्थनापत्र प्रस्तुत। प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया गया। अभियुक्त का बयान अंकित किया गया। अभियुक्त ने अपने जुर्म को स्वेच्छा से स्वीकार किया। अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड जमा किया गया। तदनुसार पत्रावली निस्तारित।

(अंकित पाल)

सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
हमीरपुर।